

अन्य पछिड़ा वर्ग के लिये आरक्षति पदों पर नरिवाचन प्रक्रिया स्थगति

चर्चा में क्यों?

18 दसिंबर, 2021 को मध्य प्रदेश के राज्य नरिवाचन आयुक्त बसंत प्रताप सहि ने जानकारी दी है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारति आदेश के पालन में मध्य प्रदेश राज्य नरिवाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम नरिवाचन वर्ष 2021-22 के लिये जारी कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य पछिड़ा वर्ग के लिये आरक्षति पंच, सरपंच, जनपद पंचायत एवं ज़िला पंचायत सदस्य के पदों की नरिवाचन प्रक्रिया स्थगति कर दी गई है।

प्रमुख बडि

- सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय के अनुसार अन्य पदों के लिये नरिवाचन की प्रक्रिया राज्य नरिवाचन आयोग द्वारा घोषति कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगी।
- ज़िला नरिवाचन अधिकारियों को नरिदेशति कयि गया है कि 17 दसिंबर 2021 तक अन्य पछिड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा उनके लिये आरक्षति पदों के लिये जो नाम नरिदेशन-पत्र प्रसुतुत कयि गए हैं, उन्हें सुरक्षति रखा जाए।
- उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अन्य पछिड़ा वर्ग के लिये ज़िला पंचायत सदस्य के 155, जनपद पंचायत सदस्य के 1273, सरपंच के 4058 और पंच के 64 हजार 353 पद आरक्षति हैं।